उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, खूँटी।

(पंचायत शाखा)

संविदा अधारित नियुक्ति हेतु सूचना

ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज) झारखण्ड के पत्रांक 1453 दिनांक 03.05.2016 के आलोक में संविदा पर कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक –सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के पश्चात् खूँटी जिला के लिए कनीय अभियन्ता के 02(दो) पद तथा लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के 11(ग्यारह) पद रिक्त रह गया है, जिसके विरूद्ध नियुक्त किया जाना है।

इस निमित 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से 10 प्रतिशत की राशि प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग के रूप में व्यय किया जाएगा। इसके अन्तर्गत पंचायतों में कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर को संविदा आधारित मासिक मानदेय पर नियुक्त करने की स्वीकृति प्राप्त है।

आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पदों की संख्या एवं मासिक मानदेय निम्न प्रकार है:–

क्र	पद	कुल	अना0	अ0ज0जा0	अ0जा0	पि0जा0	अ0 पि0जा0	मासिक मानदेय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कनीय अभियन्ता	02	—	02	—	—	—	17000/	
2.	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	11	—	11	—	—	—	10000/	

उपरोक्त दोनों रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची के अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14.07.2016 के अनुसार सिर्फ **खूँटी जिला** के योग्य स्थानीय निवासी ही रिक्ति पर भरती हेतु पात्र होंगे।

निम्न दिशा –निर्देश एवं शर्तों के तहत् विहित प्रपत्र में उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. पद का नाम–कनीय अभियन्ता

(क)शैक्षणिक योग्यता

(i) **अनिवार्य योग्यता:**–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रय में 50 प्रतिशत (अ0ज0जा0 हेतु) अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता।

(ii) **वांछनीय योग्यता:**–संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

(ख) उम्र सीमा:– अधिकतम 40 वर्ष।

नियुक्ति की प्रक्रिया उम्र की गणना की तिथि:–(Cut of date-01-01-2016)

(i) जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त, खूँटी द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

(ii)नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता(अनिवार्य एवं वांछनीय) अनुभव, दक्षता परीक्षा (विषय ज्ञान एवं कप्यूटर टेस्ट) के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

2. पद का नाम–लेखा लिपिक–कम्प्यूटर ऑपरेटर

(क) शैक्षणिक योग्यता:–

(i) **अनिवार्य योग्यता:**–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0(गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0(गणित/सांख्यिकी)अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(ii) **वांछनीय योग्यता:**– संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) उम्र सीमा–उम्र सीमा निम्नवत रहेगी:–

(i) अनुसूचित जनजाति के लिए — 40 वर्ष

नियुक्ति की प्रक्रिया उम्र की गणना की तिथि :–(Cut of date-01-01-2016)

(ii) जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त, खूँटी द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

(ग) (i) नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता (विषय ज्ञान एवं कप्यूटर टेस्ट) परीक्षा में प्राप्त अंकों में कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगी।

(ii) उपरोक्त दोनों पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को प्रारंभिक मेधा सूची के आधार पर दक्षता परीक्षा के लिए आंमत्रित किया जायेगा।

(iii) आवेदक का मल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा जो निम्न खंडों में विभाजित होगा:

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	दक्षता परीक्षा		योग
			विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	10	10	20	10	100

E:\2017\Com Op Eg\Com. JE Vacancy 3rd\7-7-2017 NIC.docx

3. **आवेदन पत्र समर्पित करने की प्रक्रियाः–**

(i) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे तथा वांछित सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं शुल्क का बैंक ड्राफ्ट के साथ **उपायुक्त, खूँटी के पदनाम** से निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य होगा। निर्गत बैंक ड्राफ्ट की पीठ पर बायीं तरफ अपना नाम संक्षिप्त पता एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। लिफाफे पर निश्चित रूप से **आवेदित पद का नाम** मोटे अक्षरों में लिखना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति करने की **अंतिम तिथि दिनांक 12.08.2017 के अपराह्न 5:00 बजे तक** है।

(ii)आवेदन पत्र के साथ एवं स्वपता (पत्राचार पता) लिखा लिफाफे निबंधित डाक हेतु निर्धारित टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iii) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र तथा बैंक ड्राफ्ट अलग लिफाफे में निबंधित डाक से समर्पित करना होगा।

(iv) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत् होगा–

क्र0	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	2	3	4
1	कनीय अभियन्ता	300/–	अनुसूचित जनजाति
2	लेखा लिपिक–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	300/–	अनुसूचित जनजाति

(v) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे खूँटी के वेबसाइट www.khunti.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार विभागीय निदेश के आलोक में संशोधन किया जा सकता है।

4. **सेवा शर्त्तः–**

(i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा उस कालवाधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति की इस परियोजनार्थ नवीकरण के लिए भी समिति मानी जायेगी।

(ii)यदि कोई कार्यरत अभियन्ता/लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कनीय अभियन्ता/लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कनीय अभियन्ता/लेखा लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कनीय अभियन्ता/लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

(iii)उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iv)संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों की क्षमता, निधि की उपलब्ध कर्मियों की आवश्यकता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(v)कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

(vi) आवेदक को देय एक मुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इन्टरनेट की सुविधा भी सम्मिलित होगी।

(vii)आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय भुगतान किया जायेगा।

(viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

(ix) नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

उपायुक्त, खूँटी के आदेशानुसार।

26.07.17

उप विकास आयुक्त,
खूँटी।

E:\2017\Com Op Eg\Com. JE Vacancy 3rd\7-7-2017 NIC.docx

Application Format

Self Attested Photo

1. Post Applied for :...
2. Name of the Candidate :...
3. Father's Name :...
4. Nationality :...
5. State in which Domiciled/ Resident:...
6. Address
   (a) Permanent Address :...

   (b) Correspondence Address:...

7. E-Mail Address
8. Mobile No..
9. Caste...
10. Age...
11. Education Qualification /Desirable Qualification

Name of Exam	University/Institute	Passing Year	Percentage

12. Experience

Name of Organization	Designation	From	To

Note:-Documents related to Age, Proof of Domicile/Residence, Caste, Qualification, Experience Should be Self attested and attached.

<u>Declaration</u>

I hereby declare that all the statement information furnished & papers attached are true to best of my knowledge and belief. I have not been prosecuted or punished by any Court of law for any offence or involved/named/charge sheeted in any criminal or like case. If any of the information furnished by the undersigned is formed to be false, my candidature be deemed void and be appropriately penalized.

Signature of the applicant